न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 132/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार याद, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – **1.प्रेमसिंह पुत्र भैरसिंह, जाति राजपूत निवासी उदसियार, तहसील चौहटन**

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.मोतीसिंह 2.मैताबसिंह 3.डूंगरसिंह 4.हेमसिंह पि. भेरसिंह 5.राधाकंवर पत्नि हाथीसिंह 6.विक्रमसिंह 7.रावतसिंह पि. हाथीसिंह जाति राजपूत, निवासी उदसियार, तहसील चौहटन 8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री मोहनसिंह सोढ़ा**

निर्णय

दिनांक :– 21.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 7 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा उदसियार खसरा सं. 138/32 रकबा 139.15 बीघा, खसरा सं. 160/45 रकबा 81.18 बीघा, खसरा सं. 13 रकबा 78.10 बीघा, खसरा सं. 14 रकबा 61.15 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 47.06 बीघा के आये हुए है। प्रार्थी एक गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है उसे कभी राजस्व रेकर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में लम्बे समय तक पिचाणसिंह रहा । चूंकि प्रार्थी का सही नाम प्रेमसिंह है तथा तमाम सरकारी दस्तावेज, मतदान, पहचान पत्र, राशनकार्ड, मूल निवास, आधारकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह ही अंकित है। प्रार्थी का वास्तविक नाम भी प्रेमसिंह ही है। प्रार्थी को उक्त त्रुटि का ज्ञान तब हुआ जब प्रार्थी ने उक्त खातेदारी भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पटवारी से जमाबन्दी नकल प्राप्त की । इसलिए प्रार्थी अपना नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प शोभाला जेतमाल में पेश हुई । प्रार्थी स्वयं उपस्थित । प्रार्थी को सुना गया । उक्त प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 व 7 की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा उदसियार खसरा सं. 138/32 रकबा 139.15 बीघा, खसरा सं. 160/45 रकबा 81.18 बीघा, खसरा सं. 13 रकबा 78.10 बीघा, खसरा सं. 14 रकबा 61.15 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 47.06 बीघा के आये हुए है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह के स्थान पर पिचाणसिंह लम्बे समय से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। जबकि प्राथी का सही नाम प्रेमसिंह है। प्रार्थी द्वारा पेश विभिन्न दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि मौजा उदसियार खसरा सं. 138/32 रकबा 139.15 बीघा, खसरा सं. 160/45 रकबा 81.18 बीघा, खसरा सं. 13 रकबा 78.10 बीघा, खसरा सं. 14 रकबा 61.15 बीघा, खसरा सं. 17 रकबा 47.06 बीघा में प्रार्थी का गलत नाम पिचाणसिंह के स्थान पर प्रेमसिंह दुरस्त किया जावे । उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प शोभाला जेतमाल में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2018 / 1100 दिनांक 24/5/18

प्रेषित :—

तहसीलदार चौहटन

विषय :— राजस्व आवेदन सं. 132 / 16 अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. अनवान प्रेमसिंह बनाम मोतीसिंह वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन